



सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार 2005

राज्य स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी / नामित जनसूचना अधिकारी / नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण

क्र०सं०	अपीलीय अधिकारी / जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी का पद नाम	कार्यालय	दूरभाष नं० / मो०नं०		पता
			कार्यालय	निवास	
1	अपर निदेशक (गोधन विकास), प्रथम अपीलीय अधिकारी (स्थानापन्न)	निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ	0522-2740010		निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ
2	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), जनसूचना अधिकारी (स्थानापन्न)	निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ	0522-2740234		निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ
3	सहायक जनसूचना अधिकारी (स्थानापन्न)	निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ	0522-2740238		निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ

नोडल आफिसर आर०टी०आई० आनलाइन का विवरण

1	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), जनसूचना अधिकारी / नोडल आफिसर (आर०टी०आई० आनलाइन ए उ०प्र०)	निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ	0522-2740234		निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ
---	--	---	--------------	-------	--

जनसूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क का विवरण ,

आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए रु० 10/- नगद शुल्क ,

डिमान्ट डाफ्ट, बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल आर्डर रु० 10 /- का 'निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, लखनऊ' के पक्ष में देय होगा।

“उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को आनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल <https://rtionline.up.gov.in> विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।”

**उत्तर प्रदेश, गो सेवा आयोग,
1006, 10वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।**

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष न० कार्यालय	अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष नं० कार्यालय
1	उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग,, दसवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	गोसेवा अधिकारी, 1005, दसवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	0522-2288390 0522-2288337	सचिव, उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग, 1007, दसवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ	0522-2288390 0522-2288337

क्रं०	विवरण	पेज नं०
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	4
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	5
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम सम्मिलित हैं	5
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड	6
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:—	6
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	6
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।	6
8	ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण	7
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	7-9
10	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।	10-13
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	14-16
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं—	16-18
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:—	19
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो:—	19-20
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं:—	20
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:— संलग्न सूची अनुसार	20-24
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।	25

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य:-

पशुपालन विभाग का संगठन:-

प्रदेश में पशुपालन विभाग अर्न्तगत 2 निदेशक के पद सृजित है एवं दोनों निदेशक यथा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) अपने-अपने पदों पर पदासीन हैं। दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड-1), एक वित्त नियंत्रक एवं एक अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद भी सृजित है।

विभाग के मुख्य उद्देश्य:-

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील है:-

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
3. पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त हरे चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. गरीबी उन्मूलन एवं कुपोषण को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. महिला सशक्तीकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।
12. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।
13. निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान कराना एवं उन्हें उपयोगी बनाना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम:-

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
2. गाय एवं भैंस विकास।
3. कुक्कुट विकास।
4. भेड़-बकरी विकास।
5. सूकर विकास।
6. अन्य पशुधन विकास।
7. चारा और चरागाह विकास।
8. गौशाला एवं गो-सदनों का विकास।
9. गो सेवा आयोग का सुदृढीकरण।
10. पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम।
11. प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकीय।
12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें।
13. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन।
14. वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन।
15. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें।
16. राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें।
17. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की योजनायें।

2. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:

निदेशक (प्रशासन एवं विकास)

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश की समस्त गतिविधियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुशासन के अर्न्तगत समीक्षा कर दिशा प्रदान करना।

निदेशक (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र)

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन/अनुश्रवण साथ ही राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य।

अपर निदेशक ग्रेड- I

पशुपालन विभाग की विभिन्न गतिविधियों यथा, रोग नियन्त्रण, पशुधन विकास, कुक्कुट विकास, नियोजन एवं योजना क्रियान्वयन सहित समस्त कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक/प्रशासनिक समीक्षा में निदेशक को सहयोग प्रदान करना।

वित्त नियन्त्रक

वित्तीय अनुशासन के अनुसार बजट प्राविधान एवं व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निदेशक को सहयोग प्रदान करना।

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों यथा, उन्नत पशु प्रजनन, उन्नत पशुविकास, कुक्कुट विकास, कुक्कुट रोग नियन्त्रण, पशुरोग नियन्त्रण, संचारी रोग नियन्त्रण, मानकीकरण, प्रक्षेत्र, उन्नत चारा विकास, पशुपोषण प्रयोगशाला सहित समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं को उपनिदेशकों की सहायता से तैयार करना, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुशासन के अर्न्तगत उन्हें क्रियान्वित करने/समीक्षा में निदेशक को सहयोग प्रदान करना।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा के नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों में निदेशक को सहयोग प्रदान करना।

अपर निदेशक ग्रेड- II

प्रदेश के मण्डल स्तर पर पशुपालन विभाग की प्रशासनिक सहित समस्त गतिविधियों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/समीक्षा करना।

उप निदेशक प्रक्षेत्र

विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर गतिविधियों/योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय समीक्षा करना।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी

प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तर पर पशुपालन विभाग की समस्त गतिविधियों/योजनाओं/कार्यक्रमों को वित्तीय अनुशासन के अर्न्तगत क्रियान्वित करना।

पशुचिकित्सा अधिकारी/उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी:

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं यथा, पशुचिकित्सा/पशुरोग नियन्त्रण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, चारा विकास, कुक्कुट विकास, दैवीय आपदा/आकस्मिक पशुरोग नियन्त्रण सहित समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं का स्थापित पशुचिकित्सालयों से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

पशुधन प्रसार अधिकारी:

पशुचिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में पशुपालन विभाग के स्थापित पशुसेवा केन्द्रों/“द”श्रेणी पशु औषधालयों द्वारा पशुपालन विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार, सामान्य (माइनर) पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत चारा बीज वितरण एवं अन्य विभागीय कार्यों का क्रियान्वयन करना।

अन्य सहायक कर्मचारी:

पशु औषधिक द्वारा पशुचिकित्सालय पर पशुचिकित्सा अधिकारी/उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में औषधि वितरण एवं पशुचिकित्सालय के प्रबन्धन में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक/कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी/आशुलिपिक, कम्प्यूटर आपरेटर आदि विभाग में कार्यालय प्रबन्धन/प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं।

3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

- निर्णय/विनिश्चय करने की प्रक्रिया: निदेशक → अपर निदेशक ग्रेड-1 → अपर निदेशक ग्रेड-2

- संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी → उपनिदेशक/उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी → पशुचिकित्सा अधिकारी
 - **पर्यवेक्षण:** निदेशक → अपर निदेशक ग्रेड-1 → अपर निदेशक ग्रेड-2 → संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
 - उपनिदेशक/उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी
 - **उत्तरदायित्व:** पशुचिकित्सा अधिकारी/उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/उपनिदेशक मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक → अपर निदेशक ग्रेड-II → अपर निदेशक ग्रेड-I → निदेशक
- 4 . **अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड :-**
- **निदेशक:** पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्रदेश स्तर पर पूर्ति।
 - **अपर निदेशक ग्रेड-I एवं संयुक्त निदेशक:** पशुपालन विभाग की उनसे सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्रदेश स्तर पर पूर्ति।
 - **अपर निदेशक ग्रेड- II :** पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों की उनके मण्डल हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति।
 - **मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी:** पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों की उनके जिले हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति।
 - **उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी:** पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों की उनके पशुचिकित्सालय हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति।
5. **अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:-**
- सिविल वेटेरनरी मैनुअल।
 - शासकीय सेवा नियम।
 - वित्तीय हस्त पुस्तिका के अर्न्तगत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत वित्तीय नियम।
 - पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम/नियमावली।
6. **ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन में है, प्रवर्गों का विवरण:-**
- सिविल वेटेरनरी मैनुअल द्वारा निर्धारित पशु रोगों के समय दायित्वों/कार्यवाही हेतु नियम।
 - विभिन्न सेवा नियम।
 - वित्तीय हस्त पुस्तिका के अर्न्तगत निर्धारित वित्तीय नियम/शासनादेश।
7. **किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं:-**
- राज्य पशु प्रजनन नीति-2018
 - उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022
 - निराश्रित गो-आश्रय स्थलों के संचालन की नीति एवं क्रियान्वयन
 - लघु पशु विकास हेतु संचालित योजनयें
 - प्रदेश में चारा उत्पादन कार्यक्रम
 - कुक्कुट विकास नीति-2013 एवं बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम
 - राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
 - गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमेन के उपयोग की योजना (रा0यो0)
 - राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण (एन0ए0डी0सीपी0) कार्यक्रम
 - भ्रूण प्रत्यारोपण (एम0ओ0ई0टी0)/आई0वी0एफ0 कार्यक्रम
 - लम्पी स्किन डिजीज रोकथाम कार्यक्रम
 - मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना योजना

8. ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठन किया गया हो, और इस बारे में कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण:-

प्रत्येक छः माह पर राज्य एवं जिला स्तर पर गठित पशुप्रजनन सम्बन्धी समितियों की बैठक सम्पन्न होती है जिसकी कार्यवाही से क्षेत्रों के आवश्यकतानुसार पशुप्रजनन सम्बन्धी योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। कार्यवाहियों को पशुपालकों/आमजन में वितरित नहीं किया जाता है परन्तु निर्मित योजनाओं एवं नीतियों का प्रत्यक्ष लाभ पशुपालकों/आमजन को प्राप्त होता है।

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
निदेशालय

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	कार्यालय	आवास	अन्य
1.	निदेशक (प्रशासन एवं विकास)	0522-2740482 0522-2740238		7895952645
2	निदेशक (रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र)	0522-2742880 0522-2742768		9412434304
3	वित्त नियन्त्रक	0522-2740237		7905077794
4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	0522-2740234		9936012062
5	अपन निदेशक (नियोजन)			9456207565
6	अपर निदेशक (गो०वि०)	0522-2740010		8433202293
7	अपर निदेशक (कुक्कुट)	0522-2740102		9412564412
8	अपर निदेशक (लघु पशु)			9415843607
9	अपर निदेशक (बी०पी०एस०)	0522-2740060		9456207565
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी(यू०पी०एल०बी०बी०)	0522-2740026		9838402553
11	संयुक्त निदेशक (रो०नि०)	0522-2740394		9412531634
12	संयुक्त निदेशक (नियोजन)			9415384454
13	रजिस्टार वेटनरी काउन्सिल	0522-2741342		6307310934
14	उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	0522-4009653		9451671272
15	प्रधानाचार्य (बी०के०टी०)	0522-2231270		9415610875
16	पशुचिकित्सालय बादशाहबाग			9336611686
17	पशुचिकित्सालय हैबलेक रोड	0522-2239556		
18	कैनाइन हैबलेक रोड	0522-2239458		
19	गोसेवा आयोग	0522-2288390 0522-2288337		9140096581
20	संयुक्त निदेशक(न्यूट्रीशन)आहार परीक्षण प्रयोगशाला	0255-2740090		9792282843

मण्डल स्तर

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	कार्यालय	आवास	अन्य
1	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	आगरा	0562-2881094	8765957851
2	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	अलीगढ़	0519-285113	8765957852
3	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	आजमगढ़	05462-220084	8765957864
4	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	प्रयागराज	05462-220084	8765957855
5	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	बरेली	0581-2557086	8765957850
6	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	बस्ती	95554-.285329	8765957859

7	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	चित्रकूट धाम	05192-285113	8765957863
8	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	देवीपाटन	05262-233060	8765957860
9	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	अयोध्या	955278-222389	8765957861
10	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	गोरखपुर	0551-2335240	8765957858
11	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	कानपुर	95512-2572540	8765957853
12	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	लखनऊ	0522-2741109	8765957854
13	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	मेरठ	0121-2660344	8765957848
14	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	मिर्जापुर	0544-267701	8765957856
15	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	मुरादाबाद	0591-2414032	8765957849
16	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	झाँसी	0510-2471743	8765957862
17	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	सहारनपुर	0132-271335	8765957847
18	अपर निदेशक (ग्रेड-II)	वाराणसी	0542-2280958	8765957857

जनपदस्तर

क्र०सं०	नाम	जनपद का नाम	दूरभाष नं० कार्यालय	मो०/आवास	कार्यालय पता
1.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	आगरा	0562-2851591	8765957899	विकास भवन ,आगरा
2.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	फिराजाबाद	05612-285065	8765957902	विकास भवन ,फिराजाबाद
3.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मैनपुरी	05672-234244	8765957901	विकास भवन ,मैनपुरी
4.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मथुरा	0565-2410268	8765957900	विकास भवन ,मथुरा
5.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	अलीगढ़	0571-2742041	8765957903	विकास भवन ,अलीगढ़
6.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	एटा	05742-232436	8765957905	विकास भवन ,एटा
7.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	हाथरस	05722-235210	8765957904	विकास भवन ,हाथरस
8.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कासगंज		8765957906	विकास भवन ,कासगंज
9.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	आजमगढ़	05462-220479	8765957956	विकास भवन ,आजमगढ़
10.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मऊ	0547-2224222	8765957958	विकास भवन ,मऊ
11.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बलिया	05498-222040	8765957957	विकास भवन ,बलिया
12.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	इलाहाबाद	0532-2548827	8765957935	विकास भवन ,इलाहाबाद
13.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कौशाम्बी	05331-232564	8765957936	विकास भवन ,कौशाम्बी
14.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	फतेहपुर	05180-224067	8765957937	विकास भवन ,फतेहपुर
15.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	प्रतापगढ़	05342-222817	8765957938	विकास भवन ,प्रतापगढ़
16.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कानपुर नगर	95512-2535098	8765957916	विकास भवन ,कानपुरनगर
17.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कानपुर देहात	05111-220218	8765957917	विकास भवन कानपुर देहात
18.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	फर्रुखाबाद	05692-236326	8765957918	विकास भवन,फर्रुखाबाद
19.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कन्नौज	05694-237292	8765957919	विकास भवन ,कन्नौज
20.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	इटवा	05688-255726	8765957920	विकास भवन ,इटवा
21.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	औरैया	05683-245063	8765957921	विकास भवन ,औरैया
22.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बरेली	0581-2429635	8765957912	विकास भवन,बरेली
23.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बदायूँ	05832-226626	8765957913	विकास भवन ,बदायूँ
24.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	शाहजहांपुर	05842-226468	8765957915	विकास भवन ,शाहजहांपुर
25.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पीलीभीत	05882-252497	8765957914	विकास भवन ,पीलीभीत
26.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बस्ती	05542-247125	8765957963	विकास भवन ,बस्ती
27.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	संत कबीरनगर	05547-223196	8765957964	विकास भवन ,संत कबीरनगर
28.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सिद्धार्थनगर	05544-220572	8765957965	विकास भवन ,सिद्धार्थनगर
29.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	चित्रकूट	05198-235773	8765957931	विकास भवन ,चित्रकूट
30.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	हमीरपुर	05282-222995	8765957933	विकास भवन ,हमीरपुर
31.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बाँदा	05192-285481	8765957932	विकास भवन बाँदा
32.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	महोबा	05287-255425	8765957934	विकास भवन ,महोबा
33.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बलरामपुर	05263-233483	8765957952	विकास भवन ,बलरामपुर
34.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गोण्डा	05262-232367	8765957954	विकास भवन ,गोण्डा
35.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	श्रावस्ती	05250-222642	8765957955	विकास भवन ,श्रावस्ती

36.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बहराइच	05252-235728	8765957953	विकास भवन ,बहराइच
37.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	फैजाबाद	05278-220209	8765957946	विकास भवन ,फैजाबाद
38.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बाराबंकी	05248-221108	8765957948	विकास भवन ,बाराबंकी
39.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सुन्तानपुर	05362-241047	8765957949	विकास भवन ,सुन्तानपुर
40.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	अम्बेडकरनगर	05271-244686	8765957947	विकास भवन ,अम्बेडकरनगर
41.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	अमेठी		8765957950	गौरीगंज अमेठी
42.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गोरखपुर	0551-2332236	8765957959	विकास भवन गोरखपुर
43.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	महराजगंज	05523-222997	8765957962	विकास भवन ,महराजगंज
44.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	देवरिया	05568-225464	8765957960	विकास भवन देवरिया
45.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	कुशीनगर	05564-243139	8765957961	विकास भवन ,कुशीनगर
46.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	लखनऊ	0522-2381759	8765957922	विकास भवन ,लखनऊ
47.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	हरदोई	05852-232527	8765957923	विकास भवन ,हरदोई
48.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	खीरी	05872-271735	8765957926	विकास भवन ,खीरी
49.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सीतापुर	05862-245952	8765957925	विकास भवन ,सीतापुर
50.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	रायबरेली	0535-2203648	8765957927	विकास भवन ,रायबरेली
51.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	उन्नाव	0515-2822270	8765957924	विकास भवन ,उन्नाव
52.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	वाराणसी	0542-2503786	8765957939	विकास भवन ,वाराणसी
53.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	चन्दौली	05412.262792	8765957942	विकास भवन ,चन्दौली
54.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गाजीपुर	0548.2222665	8765957940	विकास भवन ,गाजीपुर
55.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	जौनपुर	05452.261624	8765957941	विकास भवन,जौनपुर
56.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मेरठ	0121.2666221	8765957890	विकास भवन ,मेरठ
57.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बुलन्दशहर	05732.2235071	8765957894	विकास भवन ,बुलन्दशहर
58.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गाजियाबाद	0120.2823215	8765957892	विकास भवन ,गाजियाबाद
59.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बागपत	0121.2221838	8765957891	विकास भवन ,बागपत
60.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	हापुड़		8765957895	विकास भवन हापुड़
61.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गौतमबुद्धनगर	0120.2570019	8765957895	विकास भवन ,गौतमबुद्धनगर
62.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मुरादाबाद	0591.2450828	8765957907	विकास भवन ,मुरादाबाद
63.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	रामपुर	0595.2352485	8765957909	विकास भवन ,रामपुर
64.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	बिजनौर	01342.261187	8765957910	विकास भवन ,बिजनौर
65.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	जे०पी०नगर	05922.263914	8765957908	विकास भवन ,जे०पी०नगर
66.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सम्भल		8765957911	बहजोई कलेक्ट्रेट परिसर
67.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सहारनपुर	0132.2765275	8765957896	विकास भवन ,सहारनपुर
68.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मुजफ्फरनगर	0131.2621417	8765957897	विकास भवन मु०नगर
69.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	शामली		8765957898	
70.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	झांसी	0510.2442767	8765957928	विकास भवन झांसी
71.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	जालौन	05162.250636	8765957929	विकास भवन ,जालौन
72.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	ललितपुर	05176.273074	8765557930	विकास भवन ललितपुर
73.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	मिर्जापुर	05442.253691	8765957943	विकास भवन ,मिर्जापुर
74.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सोनभद्र	05444.223109	8765957944	विकास भवन ,सोनभद्र
75.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	संतरविदासनगर	05414.250604	8765957945	विकास भवन संतरविदासनगर

10 **प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथाउपबन्धित हो।**

श्रेणी-1 व 2 के अधिकारियों के पदों की दिनांक 01.04.2021 के अनुसार स्थिति										
क्र०सं०	विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम	दि० 01-04-2021 को विद्यमान स्वीकृत		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7 वें वेतन के अनुसार		समूह (क, ख, ग अथवा घ)	अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान रू०	सादृश्य मैट्रिक्स लेबल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निदेशक प्रशासन एवं विकास	1	0	1	1	0	37400-67000	14	क	
2	निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	0	1	1	1	0	37400-67000	14	क	
3	अपर निदेशक ग्रेड-1	4	0	4	2	2	37400-67000	13 क	क	
4	वित्त नियंत्रक	1	0	1	1	0	37400-67000	13 क	क	
5	अपर निदेशक ग्रेड-2	20	1	21	14	7	37400-67000	13	क	
6	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1	1	0	37400-67000	12	क	
7	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	73	2	75	57	18	15600-39100	12	क	
8	संयुक्त निदेशक	67	0	67	38	29	15600-39100	12	क	
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकीय)	1	0	1	0	1	15600-39100	12	क	
10	उपमुख्य प०चि०अ० / उ०नि० / अधीक्षक	467	0	467	225	242	15600-39100	11	क	
11	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	15600-39100	11	क	
12	प्रधानाचार्य, बी०के०टी०, लखनऊ	1	0	1	0	1	15600-39100	11	क	
13	उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	1	1	2	0	2	15600-39100	11	क	
14	पशु चिकित्साधिकारी	1400	584	1984	1722	267	15600-39100	10	ख	
15	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	0	1	0	1	15600-39100	10	ख	
16	पशुधन विपणन अधिकारी	1	0	1	1	0	15600-39100	10	ख	
17	प्रोग्रामर (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	1	0	1	0	1	15600-39100	10	ख	
18	सांख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	0	6	15600-39100	10	ख	
19	वित्त एवं लेखाधिकारी	13	0	13	12	1	15600-39100	10	ख	
20	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	0	6	1	5	15600-39100	10	ख	
21	कृषि अधिकारी	0	1	1	0	1	15600-39100	10	ख	
22	चारा विकास अधिकारी	2	0	2	1	1	15600-39100	10	ख	
23	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	15600-39100	10	ख	
24	सहायक लेखाधिकारी	2	0	2	2	0	9300-34800	8	ख	
25	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1	0	9300-34800	8	ख	
26	ऊन विपणन अधिकारी	0	1	1	0	1	9300-34800	7	ख	
27	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	9300-34800	7	ख	
28	लाइव स्टॉक इन्टेलिजेंस इन्सपेक्टर	1	0	1	0	1	9300-34800	7	ख	

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ में राजपत्रित अधिकारियों की मासिक पारिश्रमिक की सूची:-										
29	क्षेत्र प्रबंधक(कुक्कुट) / सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी / लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण / सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	8	0	8	0	8	9300-34800	7	ख	
30	चर्म विकास अधिकारी	1	0	1	0	1	9300-34800	7	ख	
31	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	58	23	81	72	9	9300-34800	7	ख	
32	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18	18	0	9300-34800	7	ख	
अराजपत्रित										
33	पशुधन प्रसार अधिकारी	2157	616	2773	2170	603	29200-92300	ग		
34	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	121	0	121	20	101	35400-112400	ग		
35	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
36	डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	0	5	5	0	29200-92300	ग		
37	पुस्तकालयाध्यक्ष	2	0	2	2	0	29200-92300	ग		
38	केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	0	4	2	2	29200-92300	ग		
39	ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	4	0	4	2	2	29200-92300	ग		
40	एयर कंडिशनर आपरेटर	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
41	एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	13	10	29200-92300	ग		
42	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200-92300	ग		
43	प्रचार निरीक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	ग		
44	प्रचार पर्यवेक्षक	4	0	4	1	3	21700-69100	ग		
45	कलाकार	1	0	1	0	1	35400-112400	ग		
46	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
47	इलेक्ट्रीशियन / विद्युत यंत्रिक	12	0	12	7	5	25500-81100	ग		
48	प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	37	65	29200-92300	ग		
49	कनिष्ठ सहायक	304	39	343	385	0	21700-69100	ग	42 अधिसं ख्य	
50	पेड अप्रेंटिस	0	6	6	0	6	—	ग		
51	सह उर्दू अनुवादक	0	30	30	29	1	19900-63200	ग	सीधी भर्ती का पद	
52	वरिष्ठ सहायक	184	29	213	201	12	29200-92300	ग	प्रोन्नति का पद	
53	प्रधान सहायक	58	6	64	64	0	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
54	लेखाकार	105	0	105	100	5	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
55	सहायक लेखाकार	35	0	35	35	0	29200-92300	ग	सीधी भर्ती का पद	
56	कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	0	3	0	3	25500-81100	ग		
57	वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	0	12	7	5	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
58	आशुलिपिक	14	0	14	7	7	29200-92300	ग	सीधी भर्ती का	

									पद	
59	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	0	9	6	3	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
60	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	0	4	2	2	44900-142400	ग	प्रोन्नति का पद	
61	वाहन चालक	157	38	195	122	73	19900-63200	ग		
62	सहायक कृषि अधिकारी	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
63	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
64	ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	0	8	7	1	35400-112400	ग		
65	सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	0	1	0	1	35400-112400	ग		
66	वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
67	क्षेत्र अधीक्षक	3	0	3	2	1	35400-112400	ग		
68	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400-112400	ग		
69	कृषि निरीक्षक	3	0	3	3	0	29200-92300	ग		
70	सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
71	प्रक्षेत्र सहायक	6	0	6	6	0	29200-92300	ग		
72	स्नातक सहायक	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
73	पशुशाला पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
74	डेरी प्रभारी	3	0	3	3	0	29200-92300	ग		
75	डेरी एवं पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
76	सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
77	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
78	संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	ग		
79	चारा निरीक्षक	10	0	10	10	0	29200-92300	ग		
80	संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	0	8	8	0	25500-81100	ग		
81	संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	0	9	9	0	25500-81100	ग		
82	सहायक कृषि निरीक्षक	4	0	4	4	0	25500-81100	ग		
83	सहायक संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	2	0	2	2	0	25500-81100	ग		
84	सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	ग		
85	डेरी सहायक	4	0	4	4	0	25500-81100	ग		
86	पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	ग		
87	सहायक डेरी प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	ग		
88	डेरी पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	ग		
89	चारा निरीक्षक	2	0	2	2	0	25500-81100	ग		
90	विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	0	7	0	7	29200-92300	ग		
91	पशुधन विपणन निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
92	ऊन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
93	बिन निरीक्षक	2	0	2	1	1	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
94	भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
95	भण्डार पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	35400-112400	ग	प्रोन्नति का पद	
96	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49	0	49	44900-142400	ग	प्रोन्नति का पद	
97	वेटनरी फार्मासिस्ट	1750	234	1984	983	1001	29200-92300	ग		

98	फोरमैन मैकेनिक	2	0	2	0	2	35400—112400	ग		
99	ट्रैक्टर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200—92300	ग		
100	ट्रैक्टर आपरेटर	56	0	56	52	4	19900—63200	ग		
101	फार्म मैकेनिक	2	0	2	0	2	18000—56900	घ		
102	पशुशाला मिस्त्री	1	0	1	0	1	18000—56900	घ		
103	चिक सेक्सर	1	0	1	1	0	25500—81100	ग		
104	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	0	12	0	12	35400—112400	ग		
105	अवर अभियन्ता	1	0	1	1	0	35400—112400	ग		
106	मैकेनिक	1	0	1	1	0	25500—81100	ग		
107	ट्रैक्टर आपरेटर, बी०के०टी०	1	0	1	0	1	25500—81100	ग		
108	डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम चालक	9	0	9	9	0	29200—92300	ग		
109	मैकेनिक कम प्लॉट आपरेटर	1	0	1	0	1	19900—63200	ग		
110	व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	0	1	0	1	19900—63200	ग		
111	गट मास्टर/मास्टर प्लेयर	2	0	2	1	1	18000—56900	घ		
112	अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	10	0	10	8	2	18000—56900	घ		
113	मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर /माली	4	0	4	1	3	18000—56900	घ		
114	चर्म निरीक्षक	6	0	6	6	0	29200—92300	ग		
115	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	0	2	35400—112400	ग		
116	प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	0	5	0	5	29200—92300	ग		
117	गोसदन मैनेजर	4	0	4	4	0	29200—92300	ग		
118	ड्रेसर	150	143	293	174	119	18000—56900	घ		
119	चपरासी/अर्दली/परिच/ चौकीदार/दफतरी/स्वीपर	5116	1564	6680	4302	2378	18000—56900	घ		

पशुपालन विभाग में बजट आवंटन से सम्बन्धित निम्नलिखित आहरण वितरण अधिकारियों का विवरण:

क्र०सं०	आहरण वितरण अधिकारियों का पदनाम	पदों की संख्या
1	अपर निदेशक ग्रेड-II, पशुपालन विभाग।	18
2	अपर निदेशक ग्रेड-II, पशु जैविक औषधि संस्थान।	1
3	उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, लखनऊ।	1
4	प्रधानाचार्य, बी०के०टी०, लखनऊ।	1
5	रजिस्टार, उत्तर प्रदेश, पशुचिकित्सा परिषद्।	1
6	संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र।	3
7	परियोजना प्रबन्धक, भेड एवं ऊन विकास भैसोडा नौगढ़ चन्दौली।	1
8	समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।	75
9	मुख्य तकनीकी अधिकारी/प्रक्षेत्र अधीक्षक।	1
10	प्रक्षेत्र अधीक्षक, उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुधन प्रक्षेत्र।	9
11	निदेशक के वैयक्तिक सहायक।	1
योग:		111

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:-

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

1- पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम:-

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशुचिकित्सालय, 267 “द” श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही वर्तमान में 31-नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना के अधीन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 14 निर्मित पशुचिकित्सालयों को हस्तगत करा दिया गया।

(ब) भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित (अनावर्ती-100 प्रतिशत एवं आवर्ती-60 प्रतिशत) ई0एस0वी0एच0डी0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 520-मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही अन्तर्गत वाहनों की व्यवस्था की गयी है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 में किया जाना है।

2- पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम:-

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य 2017-18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड-60-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 में रिवैलीडेशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75-जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75-जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम-पी0पी0आर0-सी.पी.(60प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(4) वित्तीय वर्ष 2003-04 से वर्ष 2013-14 तक खुरपका-मुँहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17-जनपदों सम्प्रति 20-जनपदों में कुल 15-चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका-मुँहपका रोग-नियंत्रण कार्यक्रम(एफ.एम.डी.-सी.पी.) के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75-जनपदों को आच्छादितकर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। एफ.एम.डी. टीकाकरण अभियान (एन.ए.डी.सी.पी. अन्तर्गत) चलाया जा रहा है।

(5) राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0, ब्रूसैल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाईन स्टर्लिटि इन्फर्टीलिटि एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है।

4-उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

वित्तीय माँग	वित्तीय माँग	धनराशि (रु० लाख में)
लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
उ०प्र० वेटेरिनरी काउन्सिल	2022-23	2023-24
	55.18	96.44
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित आँकड़े	आय-व्यय अनुमान
	2023-24	2024-25
उ०प्र० वेटेरिनरी काउन्सिल	75.96	104.69

5-पशु तथा भैंस विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग	धनराशि (रु० लाख में)
लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय
102	2022-2023
पशु तथा भैंस विकास	56387.20
	88416.12

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2023-2024	2024-2025
पशु तथा भैंस विकास-102	102681.12	112871.28

2-गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)

कृषि कार्य में मशीनीकरण में वृद्धि एवं स्वदेशी गोवंश के नरवत्स का उपयोग अत्यन्त कम होने के कारण बेसहारा/निराश्रित नरगोवंश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही रही है, जिससे कृषकों की फसलों को नुकसान हो रहा है। निराश्रित नरगोवंश एवं निम्नगुणवत्ता की मादा संतति को कम करने के उद्देश्य से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमेन) के उत्पादन की इकाई, “गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्सड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)” के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। उक्त विधि से प्राप्त सीमेन स्ट्राज से 90 प्रतिशत से अधिक उच्च गुणवत्ता की मादा संतति का उत्पादन किया जा सकता है।

4- योजना का नाम : राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु मैत्री (MAITRI- Multipurpose AI Technician in Rural India) की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना संचालित की जानी है। प्रथम चरण में प्रदेश के 31 जनपद-अम्बेडकरनगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी एवं सोनभद्र आच्छादित हैं। नव चयनित मैत्री का प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा चिन्हित/अभिप्रेमाणित प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। अबतक 3618 पशुमित्र/मैत्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

5-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना” नेशनल लाईवस्टॉक मिशन के सब-मिशन ऑन लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

योजनान्तर्गत स्वदेशी/संकर दुधारु पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं नर भैंसा/सांड) एवं अन्य पशु (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि) आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ समस्त पशुओं (भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश को छोड़कर) हेतु 05 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिये 01 पशु इकाई को 10 भेड़/बकरी/सूकर/खरगोश के बराबर माना जायेगा। सब्सिडी का लाभ 05 पशु इकाई प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। यदि लाभार्थी के पास 05 से कम पशु/01 पशु इकाई है तो भी उसे सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना जी.एस.टी. से मुक्त है।

6-बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं की भौतिक प्रगति-

क्र	योजना का नाम	भौतिक प्रगति
1	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना	9889 लाभार्थियों का चयन
2	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विस्तारीकरण एवं 52 नवीन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना एवं क्रियाशील किये जाने की योजना।	426495 कृत्रिम गर्भाधान
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए महिलाओं की जागरूकता और क्षमता वृद्धि।	1250 लाभार्थियों का प्रशिक्षण

7-प्रदेश में पशु प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 30 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त कराया जाना प्रस्तावित है इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांडों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है।

पशुप्रजनन कार्य मे सहयोग के लिये निम्नवत सांडो को रखा गया है:-

(2023-2024)

क्र०सं०	मद	बाबूगढ़	रहमानखेड़ा	मंझरा
1	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर	191	156	66

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाएँ:-

- 1- गाय/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.)
- 2- गाय/भैसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)
- 3- कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा०यो०)
- 4- कामधेनु इकाईयो की ब्याजमुक्त ऋण योजना।
- 5- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।
- 6- पंडित दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले/शिविर (मण्डल स्तर)/ (विकास खण्ड स्तर)
- 7- जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25-के.+रा.)
- 8- गोवंशीय पशुओं में सेक्सड सार्टेड सीमेन की योजना
- 9- पशुपालन विभाग के कार्मिकों के, पैरावेटनरी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालकों का प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण। (के.60/रा.40-के.+रा.)

6-कुक्कुट विकास

सारांश वित्तीय

आवश्यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

(धनराशि ₹० लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2022-23	2023-24
कुक्कुट विकास	3027.39	3587.20
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2023-24	2024-25
कुक्कुट विकास	3228.20	3587.20

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है-

वित्तीय आवश्यकतायें

(तालिका-क)

क-कार्यक्रम का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹० में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2022-23	2023-24
001-निर्देशन तथा प्रशासन	85811.11	132452.79
101-पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	12278.74	30042.13
102-पशु तथा भैंस विकास	56387.20	88416.12
103-कुक्कुट विकास	3027.39	3587.20
104-भेड़ तथा ऊन विकास	114.71	491.66
106-अन्य पशुधन विकास	6122.79	7323.33
107-चारा तथा चारागाह विकास	—	200.00
113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय	104.22	1070.60
800-अन्य व्यय	6775.70	7516.46

2013-मंत्रि परिषद्	—	0.20
योग-मतदेय	170621.86	271100.49
भारित	1.15	13.79

कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	2023-24	2024-25
001-निर्देशन तथा प्रशासन	100530.01	145537.93
101-पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	29524.73	33773.63
102-पशु तथा भैंस विकास	102681.12	112871.28
103-कुक्कुट विकास	3228.20	3587.20
104-भेड़ तथा ऊन विकास	484.02	491.66
106-अन्य पशुधन विकास	6335.76	8111.54
107-चारा तथा चारागाह विकास	200.00	200.00
113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय	989.40	718.50
800-अन्य व्यय	5907.35	7973.78
2013- मंत्रि परिषद्	0.17	0.20
योग-मतदेय	249880.59	313265.52
भारित	11.72	13.79

(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण

(तालिका ख) (धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय	आय-व्ययक अनुमान
	2022-23	2023-24
1-वेतन	62405.73	92614.08
2-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	3843.51	13488.54
3-महगाई भत्ता	22907.70	41676.33
4-यात्रा भत्ता	113.80	201.20
5-अन्य भत्ता	53.61	46.47
6-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	1.87	—
7-प्रासांगिक :-	81295.64	123073.87
8-पूँजीगत परिव्यय	12078.75	26655.14
कुल योग	182700.61	297755.63
भारित	1.15	13.79

कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	2023-24	2024-25
1-वेतन	69460.56	95227.37
2-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	13488.63	18742.58
3-महगाई भत्ता	31257.26	52375.06
4-यात्रा भत्ता	201.20	202.92
5-अन्य भत्ता	46.47	46.47
6-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	0.00
7-प्रासांगिक :- सामान्य	135426.64	146671.32
8-पूँजीगत परिव्यय	25354.65	32847.22
कुल योग	275235.41	346112.94
भारित	11.72	13.79

(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत

(तालिका ग)

(लाख रू0 में)

अनुदान संख्या /	वास्तविक व्यय	आय-व्ययक अनुमान
-----------------	---------------	-----------------

लेखाशीर्षक	2022-23	2023-24
15-2013-मंत्रि परिषद	—	0.20
15-2403-पशुपालन	170621.86	271100.49
15-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	12078.75	26655.14
कुल योग	182700.61	297755.63
भारित	1.15	13.79
अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2023-24	2024-25
15-2013 मंत्रि परिषद	0.17	0.20
15-2403 पशुपालन	249880.76	313265.72
15-4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	25354.65	32874.22
कुल योग	275235.41	346112.94
भारित	11.72	13.79

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

1-निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रु० में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2022-23	2024-25
निदेशन तथा प्रशासन	85811.11	132452.79
भारित	1.15	13.79

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2023-24	2024-25
निदेशन तथा प्रशासन	100530.01	145537.93
भारित	11.72	13.79

कार्यभार का सारांश वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

विभागीय कार्यकलापों का संचालन/अनुश्रवण मण्डल स्तर पर अपर निदेशक ग्रेड-2 तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

2-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि (रु० लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2022-2023	2023-2024
पशुचिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य	12278.74	30042.13

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित आँकड़े	आय-व्यय अनुमान
	2023-2024	2024-2025
पशुचिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य	29524.73	33773.63

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:-

1. जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर जिलाधिकारी द्वारा पशुओं के निर्यात हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
2. प्रत्येक उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रदेश में पशुचिकित्सा व्यवसाय को नियमित करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशुचिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशुचिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम-1984 उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात् इसके अधीन भारत सरकार से उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। परिषद की स्थापना की तिथि से दिनांक 20.09.2022 तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

1. पंजीकरण — 7656
2. नवीनीकरण — 11840
3. निरस्तीकरण — 575

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत-प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। B.V.Sc & A.H कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं, सही पाये जाने पर शत-प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है।

14- किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो:-

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्य

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई-गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट(<http://animalhusb.upsde.gov.in>) क्रियाशील है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न योजनाओं आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई हैं। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। वेबसाइट पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 20वीं पशुगणना के आँकड़े भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियों, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन आनलाइन किया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई-मेल एवं वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

विभाग के तीन कार्यक्रम निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, मा0 मुख्यमन्त्री जी गोवंश सहभागिता योजना एवं वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण को आनलाइन कर मा0 मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड **दर्पण** से इन्टीग्रेट किया गया है जिसका अनुश्रवण मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त विवरण मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जा रहा है। जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अधीन विभाग की सेवा गोशालाओं के पंजीकरण को आनलाइन किया गया है, जिसके माध्यम से गोशालाओं का पंजीकरण जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी कराया जा सकता है। प्रदेश के पशुचिकित्साविदों का आनलाइन पंजीकरण एवं नवीनकरण उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक **पशुधन समस्या निवारण केन्द्र** की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातों दिन कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र पूर्णतया आनलाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-5141 है।

विभाग अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं इस हेतु उन्हें कम्प्यूटर संचालन, इन्टरनेट, ई-मेल आदि का प्रशिक्षण भी मुख्यालय पर दिया गया है।

राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के समस्त गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को इनाफ पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। पंजीकरण के पश्चात इनाफ पोर्टल पर पशु का इयर टैग नम्बर डालने मात्र से पशु, पशु मालिक, पशु में किये गये कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, चिकित्सा, पशु की नस्ल आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पशुपालकों को उनके द्वार पर मोबाइल वेटनरी वाहन के माध्यम से त्वरित पशुचिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु काल सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यक्रम घण्टे सम्मिलित है:-

पशुपालन निदेशालय में विभागीय पुस्तकालय कार्यरत है जिसका समय प्रातः 9:30 से सांय 6:00 बजे तक है। पुस्तकालय स्थित वाचन कक्ष का प्रयोग मुख्यतः विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:- संलग्न सूची अनुसार

मण्डल स्तर पर नामित (प्रथम अपीलीय अधिकारी)

मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों की सूची

1	2	3	4	5
1	डा0 अजय कुमार मिश्रा	अपर निदेशक (ग्रेड-2)	मिर्जापुर,	9415610875
2	डा0 गोपेश श्रीवास्तव	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	लखनऊ	7007070810
3	डा0 अनिल कुमार	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	कानपुर	9412674414

4	डा0 देवेन्द्र पाल	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	आगरा	9412421554
5	डा0 अतुल अवस्थी	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	अयोध्या	9412188325
6	डा0 अरविन्द कुमार सागर	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	झांसी	8279528332
7	डा0 मदन पाल	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	बरेली	9456207565
8	डा0 प्रमोद कुमार	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	अलीगढ़	9319298030
9	डा0 अरविन्द कुमार	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	देवीपाटन	9415380280
10	डा0 जगदीश प्रसाद	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	मुरादाबाद	9058974125
11	डा0 नीरज गौतम	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	आजमगढ़	8439829722
12	डा0 अशोक कुमार	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	चित्रकूटधाम बाँदा	8218481446
13	डा0 के०पी० सिंह	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	वाराणसी	7983162552
14	डा0 मेघश्याम	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	सहारनपुर	9412128755
15	डा0 मानव	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	मेरठ	9839474567
16	डा0 राजीव वशिष्ठ	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	प्रयागराज	9412661626 8218736507
17	डा0 अरविन्द कुमार	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	गोरखपुर	8439191827
18	डा0 जीवन लाल	अपर निदेशक (ग्रेड-2),	बस्ती	8887592682

जनपद स्तर पर नामित जन सूचना अधिकारी

मेरठ मंडल				
1	डा0 संदीप कुमार 1	मु०प०चि०अ०	मेरठ	9412131679
2	डा0 श्रीप्रकाश पाण्डे	मु०प०चि०अ०	गाजियाबाद	9412313943

3	डा0 अनिल कुमार शर्मा	मु0प0चि0अ0	बुलन्दशहर	7300808325
4	डा0 अरुन कुमार	मु0प0चि0अ0	गौतमबुद्धनगर	9451013030
5	डा0 अरविन्द त्रिपाठी	मु0प0चि0अ0	बागपत	9897623259
6	डा0 ओम प्रकाश मिश्रा	मु0प0चि0अ0	हापुड	9161956797
सहारनपुर मंडल				
7	डा0 जितेन्द्र गुप्ता	मु0प0चि0अ0	मुजफ्फरनगर	9412194769
8	डा0 मदनपाल सिंह	मु0प0चि0अ0	सहारनपुर	9415461076
9	डा0 चन्द्रभान कश्यप	मु0प0चि0अ0	शामली	9411087648
आगरा मंडल				
10	डा0 दिलीप कुमार पाण्डेय	मु0प0चि0अ0	आगरा	6391983374
11	डा0 एन0एन0 शुक्ला	मु0प0चि0अ0	मथुरा	8299267881
12	डा0 विश्वजीत सिंह	मु0प0चि0अ0	फिरोजाबाद	9837189220
13	डा0 सोमदत्त सिंह	मु0प0चि0अ0	मैनपुरी	8006593828
अलीगढ़ मंडल				
14	डा0 दिवाकर त्रिपाठी	मु0प0चि0अ0	अलीगढ़	9936100914
15	डा0 नीरज शुक्ला	मु0प0चि0अ0	एटा	9897030444
16	डा0 विजय सिंह यादव	मु0प0चि0अ0	हाथरस	9760822075
17	डा0 विजयवीर चन्द्रयाल	मु0प0चि0अ0	कासगंज	7900617944
मुरादाबाद मंडल				
18	डा0 सुनील दत्त	मु0प0चि0अ0	मुरादाबाद	9457609022
19	डा0 वेद प्रकाश	मु0प0चि0अ0	रामपुर	9412130629
20	डा0 लोकेश कुमार अग्रवाल	मु0प0चि0अ0	बिजनौर	9868620697
21	डा0 आभा दत्ता	मु0प0चि0अ0	जे0पी0नगर	9761999354
22	डा0 शैलेन्द्र सिंह	मु0प0चि0अ0	सम्भल	7906790424
बरेली मण्डल				
23	डा0 मनमोहन पाण्डेय	मु0प0चि0अ0	बरेली	9412035060
24	डा0 समदर्शी	मु0प0चि0अ0	बदायूँ	9118625919
25	डा0 राजेन्द्र प्रताप	मु0प0चि0अ0	शाहजहांपुर	9719583078
26	डा0 प्रवीण कुमार त्यागी	मु0प0चि0अ0	पीलीभीत	9412665660

कानपुर मंडल				
27	डा० ईश्वरदेव नारायन चतुर्वेदी	मु०प०चि०अ०	कानपुर	9415804855
28	डा० सुबोध कुमार	मु०प०चि०अ०	कानपुर देहात	9559279141
29	डा० मनोज कुमार गुप्ता	मु०प०चि०अ०	इटवा	9411063522
30	डा० धीरज कुमार	मु०प०चि०अ०	फर्रुखाबाद	6398677820
31	डा० अनिल कुमार	मु०प०चि०अ०	कन्नौज	8299080677
32	डा० बिसन सिंह विकल	मु०प०चि०अ०	औरैया	7088586891
प्रयागराज मंडल				
33	डा० शिवनाथ यादव	मु०प०चि०अ०	प्रयागराज	9415380714
34	डा० वेदवृत्त गंगवार	मु०प०चि०अ०	फतेहपुर	6386530740
35	डा० प्रदीप कुमार	मु०प०चि०अ०	प्रतापगढ़	9454568060
36	डा० अशोक कुमार	मु०प०चि०अ०	कौशाम्बी	7017303955
झांसी मंडल				
37	डा० एस० के० सिंह	मु०प०चि०अ०	झांसी	9125105291
38	डा० भगवान सिंह	मु०प०चि०अ०	ललितपुर	7905719046
39	डा० मनोज कुमार अवस्थी	मु०प०चि०अ०	जालौन	9415938938
चित्रकूटधाम मंडल				
40	डा० उपेन्द्र सिंह	मु०प०चि०अ०	हमीरपुर	9412515455
41	डा० रंजन सिंह	मु०प०चि०अ०	महोबा	6396246744
42	डा० शिव कुमार वैश्य	मु०प०चि०अ०	बाँदा	9340274370
43	डा० सुरेश कुमार पाण्डेय	मु०प०चि०अ०	चित्रकूट	8840908114
वाराणसी मंडल				
44	डा० रवीन्द्र सिंह राजपूत	मु०प०चि०अ०	वाराणसी	9415476351
45	डा० ओम प्रकाश श्रीवास्तव	मु०प०चि०अ०	जौनपुर	9415637660
46	डा० अरविन्द कुमार शाही	मु०प०चि०अ०	गाजीपुर	8299181214
47	डा० योगेश कुमार	मु०प०चि०अ०	चन्दौली	9415182008
मिर्जापुर मंडल				
48	डा० भूपेन्द्र सिंह पाठक	मु०प०चि०अ०	मिर्जापुर	9839355574
49	डा० अजय कुमार मिश्रा	मु०प०चि०अ०	सोनभद्र	9415610875
50	डा० अनिल कुमार सचान	मु०प०चि०अ०	संतरविदासनगर(भदोही)	7905976968

आजमगढ़ मंडल				
51	डा0 मुकेश कुमार	मु0प0चि0अ0	आजमगढ़	9411913560
52	डा0 आर0बी0 चौरसिया	मु0प0चि0अ0	मऊ	9935166279
53	डा0 एस0के0 मिश्रा	मु0प0चि0अ0	बलिया	8840738018 7533902423
गोरखपुर मंडल				
54	डा0 धर्मेन्द्र पाण्डेय	मु0प0चि0अ0	गोरखपुर	8840593076
55	डा0 हौशला प्रसाद	मु0प0चि0अ0	महराजगंज	9839030928
56	डा0 अरविन्द वेश्य	मु0प0चि0अ0	देवरिया	7007021426
57	डा0 रवीन्द्र प्रसाद	मु0प0चि0अ0	कुशीनगर	7052819411
बस्ती मंडल				
58	डा0 अरुण कुमार गुप्ता	मु0प0चि0अ0	बस्ती	9336402218
59	डा0 गणेश प्रसाद	मु0प0चि0अ0	सिद्धार्थनगर	9936212831
60	डा0 सुरेश कुमार तिवारी	मु0प0चि0अ0	संतकबीरनगर	9451714375 8707656773
देवीपाटन मंडल				
61	डा0 शशि कुमार शर्मा	मु0प0चि0अ0	गोण्डा	9628293448
62	डा0 राजेश उपाध्याय	मु0प0चि0अ0	बहराईच	7985023215
63	डा0 राजेश कुमार शर्मा	मु0प0चि0अ0	बलरामपुर	9412485972
64	डा0 सुनील कुमार सिंह	मु0प0चि0अ0	श्रावस्ती	9451421678
अयोध्या मंडल				
65	डा0 इन्द्रदेव	मु0प0चि0अ0	अयोध्या	9058724528
66	डा0 अशोक कुमार तिवारी	मु0प0चि0अ0	सुल्तानपुर	9415574502
67	डा0 अतुल अवस्थी	मु0प0चि0अ0	बाराबंकी	9412188325
68	डा0 अरविन्द कुमार सिंह	मु0प0चि0अ0	अम्बेडकरनगर	9415300462
69	डा0 गोपाल कृष्ण शुक्ला	मु0प0चि0अ0	अमेठी	9415289111
लखनऊ मंडल				
70	डा0 सुरेश कुमार	मु0प0चि0अ0	लखनऊ	9415126139
71	डा0 दिनेश कुमार सचान	मु0प0चि0अ0	लखीमपुर खीरी	8707650818
72	डा0 अशोक कुमार	मु0प0चि0अ0	हरदोई	9415678507
73	डा0 एम0पी0एस0 चंदेल	मु0प0चि0अ0	सीतापुर	9415487625
74	डा0 कुलदीप द्विवेदी	मु0प0चि0अ0	रायबरेली	7906123241
75	डा0 महाबीर सिंह	मु0प0चि0अ0	उन्नाव	9412309699

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए:-

4.12 मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना योजना

पशुचिकित्सा सेवाओं को पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने एवं पशुचिकित्सा सेवाओं का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से, "पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केंद्रों का सुदृढीकरण-मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट" योजना, भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना" अंतर्गत सम्मिलित की गई है। पशुपालकों हेतु पूरे प्रदेश के लिये टॉल फ्री नम्बर 1962 आवंटित है जिस पर पशुपालक सहायता हेतु कॉल कर सकेंगे।

उद्देश्य:

पशुचिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सुविधायें यथा पशुचिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा आदि, मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की सहायता से पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराना साथ ही, प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पशुपालकों के पशुओं को उन्नत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, विषय विशेषज्ञों की सहायता से पशु चिकित्सा, सेवाओं को सुदृढ करना, पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु ग्राम स्तर पर ही रोगों की जांच, पैथालॉजी की सुविधा, रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराना, पशु बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित करना एवं प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों की निगरानी कर उचित व तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की त्वरित कार्यवाही यथा आवश्यकता एवं ससमय सुनिश्चित कराया जाना आदि, जिससे सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके, योजना में लक्षित है।

आच्छादन:

योजनान्तर्गत प्रति एक लाख पशुधन की संख्या पर एक मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना की जानी है। अतः सम्पूर्ण प्रदेश में 520.37 लाख गाय एवं भैंसों की संख्या के सापेक्ष 520 मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट(एम.वी.यू.) का परिचालन लक्षित है।



PACKAGE	Mandal		No. of vehicles	Total in Package
A	1	Kanpur	38	116
	2	Lucknow	60	
	3	Jhansi	18	
B	4	Chitrakoot	19	108
	5	Mirzapur	19	
	6	Varanasi	33	
	7	Prayagraj	37	
C	8	Azamgarh	20	102
	9	Gorakhpur	15	
	10	Basti	10	
	11	Deviptan	23	
	12	Ayodhya	34	
D	13	Agra	36	102
	14	Aligarh	31	
	15	Bareilly	35	
E	16	Meerut	36	92
	17	Saharanpur	19	
	18	Moradabad	37	
TOTAL				520